

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज०)

प्रकरण संख्या- 38/2021 प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक:-18.06.2021

1. जीवनलाल पिता रामनारायण जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी फलवा तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज० ।
2. लीला पुत्री रामनारायण जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी फलवा तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज० ।
3. शम्भूलाल पुत्र मथुरालाल जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी फलवा तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज० ।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. दीपक पिता बंशीलाल जाति भट्ट ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी फलवा तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज० ।
2. लक्ष्मीनारायण पिता शंकरलाल जाति भट्ट ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी फलवा तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज० ।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा० ले० रे० एक्ट

आदेश

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा०ले०रे०एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात वाके मौजा फलवा प०ह० फलवा तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 250 की आराजी नं० 487 रकबा 0.7000 हैक्टेयर, आराजी नं० 488 रकबा 0.9000 हैक्टेयर, आराजी नं० 489 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, आराजी नं० 492 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, आराजी नं० 496 रकबा 0.3900 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 2.3800 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिस पर को कोई स्पष्ट सीमा चिन्ह नहीं है जिसके कारण प्रार्थीगण व विपक्षीगण के बीच सीमा चिन्ह को लेकर विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बाबजूद तामिल एवं सूचना के अनुपस्थित होने से वकील प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 1500/-रु फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थीगण की खातेदारी कि आराजियात वाके वाके मौजा फलवा प०ह० फलवा तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 250 की आराजी नं० 487 रकबा 0.7000 हैक्टेयर, आराजी नं० 488 रकबा 0.9000 हैक्टेयर, आराजी नं० 489 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, आराजी नं० 492 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, आराजी नं० 496 रकबा 0.3900 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 2.3800 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगढ़ी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थी से वसूल की जावे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 18.06.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

